न्यायालयः-अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी:– वीरेन्द्र सिंह राजपुत) <u>वैवाहिक प्र0क0 14/2017</u> संस्थित दिनांक 15-02-2017

ऊषा पुत्री रमेश, पत्नी सुदामा, उम्र 23 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड क्रमांक 13 मौ, जिला भिण्डआवेदिका

।। विरुद्ध।।

सुदामा पुत्र शिवचरन, उम्र 25 वर्ष, निवासी खैरार, परगना कौंच जिला जालीन उ०प्र०

.....अनावेदक

आवेदिका द्वारा–श्री मनोज श्रीवास्तव अधि०. अनावेदक द्वारा-श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधि0

HINATU PARTO <u>।। निर्णय</u>।। (आज दिनॉक 21.08.2017 को घोषित किया गया)

- आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 01. की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमित से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत की गयी है।
- उभय पक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 03.08.2017 न्यायालय में 02. उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में साथ रहना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिया जावे।
- संक्षेप में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका का सारांश इस प्रकार है कि 03. आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 15.04.2011 को कस्बा मौ में सम्पन्न हुई थी और आवेदिका एवं अनावेदक लगभग पांच वर्षों से एक दूसरे से पृथक निवास कर रहे है। उनके मध्य वैचारिक मदभेद उत्पन्न हो गये और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और काफी दूरियां स्थापित हो गई और वर्तमान में दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अतः आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

01. क्या आवेदिका एवं अनावेदक विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

/ / सकारण निष्कर्ष / /

- 05. आवेदिका एवं अनावेदक के याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि उनके विचार नहीं मिल रहे है और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रतिकूल होने लगा है और अब उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। उनके मध्य भरणपोषण का कोई विवाद नहीं है। अतः सहमित के आधार पर उनके मध्य हुआ विवाह को विघटित कर दिया जावे।
- 06. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। उभय पक्ष अपने फैसले पर अडिक है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।
- 07. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :-
 - अावेदिका एवं अनावेदक के मध्य हुआ विवाह दिनांक 15.04.2011 को विच्छेदित किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहेगें।
 - उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/-तक मान्य की जाती है।

तदानुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)